प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 96/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ''प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क'' पर भादूविप्रा की दिनांक 19.11.2014 की सिफारिशों पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के पिछले पत्र और ''डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत प्लेटफार्म सेवाओं'' पर भादूविप्रा की दिनांक 13.11.2019 की सिफारिशों पर एमआईबी के पत्र के संदर्भ में परामर्श पत्र जारी करता है।

नई दिल्ली, 7 दिसंबर 2020 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज ''प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क'' पर भादूविप्रा की दिनांक 19.11.2014 की सिफारिशों पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के पिछले पत्र और ''डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत प्लेटफार्म सेवाओं'' पर भादूविप्रा की दिनांक 13.11.2019 की सिफारिशों पर एमआईबी के पत्र के संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया है।

2. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 23.10.2020 के अपने पत्र के तहत भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 11(1) के प्रावधानों के अनुसार ''प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क'' पर 19.11.2014 की भादूविप्रा की सिफारिशें पुनर्विचार हेतु वापस भेजी हैं जिन्हें संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया है।

3. इसके अलावा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 23.10.2020 के अपने एक और पत्र के तहत ''प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क'' पर भादूविप्रा की दिनांक 19.11.2014 की सिफारिशें और ''डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत प्लेटफार्म सेवाओं'' पर भादूविप्रा की दिनांक 13.11.2019 की सिफारिशें वापस भेजी हैं। इस दूसरे पत्र के द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भादूविप्रा से एमएसओ द्वारा प्रस्तुत प्लेटफार्म सेवाओं के संबंध में चार मुद्दों पर कतिपय सिफारिशों को अपनाने और ''डीटीएच'' शब्द को ''एमएसओ'' शब्द से प्रतिस्थापित करने तथा उक्त प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध भी किया है।

4. भादूविप्रा ने उपर्युक्त दोनों पत्रों पर एकसाथ विचार किया। प्राधिकरण ने प्लेटफार्म सेवाओं हेतु विनियामक फ्रेमवर्क पर अपनी सिफारिशों को 2014 में अग्रेषित किया था और तब से लेकर कई घटनाक्रम घटित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ नए मुद्दे भी हैं, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 23.10.2020 के अपने उपर्युक्त पत्र में उठाए हैं और साथ में एमएसओ पर 2019 में डीटीएच ऑपरेटरों हेतु की गई कतिपय सिफारिशों को लागू भी किया है। अतः अपनी कार्यपद्धति के अनुरूप, भादूविप्रा विधिवत परामर्श प्रक्रिया के बाद, उपर्युक्त पत्रों पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। तदनुसार, सभी हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए भादूविप्रा ने एक परामर्श पत्र जारी किया है।

5. परामर्श पत्र का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

5. परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां 14 दिसंबर, 2020 तक आमंत्रित की गई हैं और प्रति–टिप्पणियां, यदि कोई हों, 19 दिसंबर, 2020 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां अधिमानतः ईमेलः– advbcs-2@trai.gov.in और sapna.sharma@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बीएंडसीएस) से टेलीफोन नंबर + 91–11–23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।